

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
(Central Board of Excise and Customs)

Notification
No. 64/2017-Customs (N.T.)

New Delhi, the 30th June, 2017

G.S.R..... (E). - In exercise of the powers conferred by clause (aa) of sub-section (1) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number 12/97-CUSTOMS (N.T.), dated the 2nd April, 1997, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 193(E), dated the 2nd April, 1997, namely:-

In the said notification, in the Table -

(i) against serial number 9 relating to the State of Maharashtra, in column (3), after item (xvi) and the entry relating thereto in column (4), the following item and the entry shall be inserted, namely:-

(3)	(4)
“(xvii) Village Bhambholi, Taluka Khed, District Pune	Unloading of imported goods and loading of export goods.”.

(ii) against serial number 11 relating to the State of Tamil Nadu, in column (3), after item (xiii) and the entry relating thereto in column (4), the following item and the entry shall be inserted, namely:-

(3)	(4)
“(xiv) Valayankulam Village, Madurai	Unloading of imported goods and loading of export goods.”.

[F.No.434/02/2016-Cus IV]

(Zubair Riaz)

Director (Customs)

Note.- The principal notification number 12/97-CUSTOMS (N.T.), dated the 2nd April, 1997 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R193. (E), dated the 2nd April, 1997 and last amended by notification No.139/2016-CUSTOMS (N.T.), dated the 25th November, 2016 vide number G.S.R.1093 (E), dated the 25th November, 2016.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना

सं. 64/2017-सीमा शुल्क (गै.टै.)

नई दिल्ली, जून 30, 2017

1962 सीमाशुल्क अधिनियम -(अ).नि.का.सा(52 का 1962) की धारा धारा की 7 उपधारा(1) के अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (कक), केन्द्रीय सीमाशुल्क एवं उत्पादशुल्क बोर्ड एतद द्वारा भारत सरकार की अधिसूचना वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) .सं12/97(.टै.गै) सीमाशुल्क-, दिनांक 02.04.1997, संख्या सा .नि.का.193(अ), दिनांक 02.04. के अंतर्गत भारत 1997के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित, में आगे निम्नलिखित संशोधन करता है-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में -

- (i) महाराष्ट्र राज्य से संबन्धित क्रम सं. 9 के सामने, कॉलम (3) में, मद (xvi) के बाद और कॉलम (4) में इससे संबंधित प्रविष्टि, निम्नलिखित मद और प्रविष्टि डाली जाएगी-

(3)	(4)
(xvii) गाँव भंभोली, तालुका खेड, जिला पुणे	आयातित माल को उतारना एवं निर्यातित माल को लादना

- (ii) तमिलनाडु राज्य से संबन्धित क्रम सं. 11 के सामने, कॉलम (3) में, मद (xiii) के बाद और कॉलम (4) में इससे संबंधित प्रविष्टि, निम्नलिखित मद और प्रविष्टि डाली जाएगी-

(3)	(4)
(xiv) वलयांकुलम गाँव, मदुरै	आयातित माल को उतारना एवं निर्यातित माल को लादना

.सं.फा]434/02/2016 सीयूस-IV]

(जुबैर रियाज़)

निदेशक (सीमाशुल्क)

नोट -प्रमुख विनियम अधिसूचना सं.12/9702 दिनांक (.टै.गै) सीमाशुल्क-.04.1997, संख्या सा .नि.का.193(अ), दिनांक 02.04. के अंतर्गत भारत 19987के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुआ था और अंतिम बार संख्या सा .नि.का.1093(अ), दिनांक 25.11.2016, अधिसूचना सं.139/201625 दिनांक (.टै.गै) सीमाशुल्क-.11.द्वारा 2016 संशोधित किया गया था।